पत्रांक-......556 (प्र0)....../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

आर0 के0 सिंह,

प्रधान सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,

सुपौल, पूर्णियां, मधेपुरा, सहरसा एवं अररिया।

पटना-15, दिनांक- 31/12/08

विषय: मुफ्त साहाय्य- द्वितीय चरण के वितरण के संबंध में।

महाशय,

कोशी आपदा के प्रारंभिक चरण में ही राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से यह अनुशंसा की थी कि प्रभावित परिवारों को मुफ्त साहाय्य कम से कम दो बार दिया जाना उपर्युक्त होगा चूंकि यह एक गंभीर आपदा है और लंबे समय तक पीड़ित परिवारों को आजीविका का साधन/कृषि कार्य उपलब्ध/प्रारंभ नहीं हो पाएगा। केन्द्र सरकार की सहमति अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है यद्यपि राज्य सरकार ने इस बिन्दु पर कई स्मार भी दिया है। अतत: राज्य सरकार ने अब निर्णय ले लिया है कि सभी प्रभावित परिवारों के बीच दोबारा मुफ्त साहाय्य का वितरण किया जाय।

2. राज्य सरकार ने मुफ्त साहाय्य के लिए एक क्विंटल अनाज तथा 250/- रुपये प्रति प्रभावित परिवारों का मापदंड निर्धारित किया है। चूंकि अनाज का आवंटन केन्द्र सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है अत: एक क्विंटल अनाज का मूल्य अर्थात 1590/- रुपये नकद दिया जाएगा। अत: प्रभावित परिवारों को प्रति परिवार 1840/- रुपये नकद मुफ्त साहाय्य के रूप में वितरित किया जाएगा। इस हेतु आवंटन संलग्न है।

3. मुख्य मंत्री राहत कोष से प्रति परिवार 250/- रुपये कम्बल/गर्म कपड़े के लिए अलग से दिया जाएगा।

4. प्रथम चरण में मुफ्त साहाय्य का वितरण किया जा चुका है। अत: लाभान्वित पारिवारों की सूची अद्यतन है। इसी सूची के आधार पर इस चरण में भी मुफ्त साहाय्य का वितरण किया जाए।

5. मुफ्त साहाय्य का वितरण पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित कर की जाएगी। मुफ्त साहाय्य का वितरण प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा अथवा मुख्यालय से प्रतिनियुक्त कार्यपालक दण्डाधिकारी अथवा उसी स्तर के अन्य विभागों के पदाधिकारियों के समक्ष ही किया जाएगा। मुफ्त साहाय्य वितरण के लिए जिला में उपलब्ध सभी विभाग के पदाधिकारियों की सेवा ली जा सकेगी। जिला में उपलब्ध अपर जिला दण्डाधिकारी, उप विकास आयुक्त अथवा अनुमंडल दण्डाधिकारी किसी न किसी वितरण शिविर में जरूर उपस्थित रहेंगे।

6. कुछ स्थलों पर 2-3 पंचायतों के प्रभावित परिवारों को एकसाथ वितरण किया जा सकता है जहां मुफ्त साहाय्य का वितरण प्रभारी मंत्री के द्वारा अथवा जहां पर प्रभारी मंत्री उपलब्ध नहीं हो पायें वहां जिला पदाधिकारी के द्वारा वितरण किया जा सकेगा। कुछ बड़े शिविरों में मुख्य मंत्री स्वयं उपस्थित होना चाहेंगे।

7. वितरण कार्यक्रम के संबंध में जिलास्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक कर विमर्श कर लिया जाय तथा वितरण के समय पंचायत स्तरीय अनुश्रवण सह निगरानी समिति को उपस्थित रहने का अनुरोध किया जाय।

8. मुफ्त साहाय्य तथा मकानों की मरम्मति/ पुनर्निर्माण हेतु दी जानेवाली सहायता; कृषि इनपुट अनुदान का वितरण, प्रभावित परिवारों के छात्रों को किताब इत्यादि के लिए अनुदान का वितरण सभी इन्हीं शिविरों में एकसाथ किया जाएगा।

9. सभी वितरण स्थल पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की व्यवस्था पुलिस अधीक्षक के द्वारा जाए।

10. शिविरों का आयोजन दिनांक 05.01.2009 से प्रारंभ कर वितरण का कार्य एक अभियान के रूप में दिनांक 15.01.2009 तक समाप्त किया जाए

11. वितरण की पूरी विडियोग्राफी करायी जाए।

12. वितरण के समय यह सुनिश्चित किया जाए कि लाभार्थियों का उचित पहचान करने के लिए संबंधित पंचायत सचिव, कर्मचारी तथा चौकीदार उपलब्ध हों।

13. वितरण का कार्यक्रम की अग्रिम सूचना संबंधित बैंक शाखा प्रबंधक को दे दी जाए ताकि राशि मिलने में कोई कठिनाई न हो।

14. पुलिस अधीक्षक राशि की सुरक्षा तथा escort के लिए आरक्षी बल देंगे तथा वितरण स्थल पर विधि व्यवस्था बनाये रखने की कार्रवाई करेंगे।

15. कृपया तदनुसार व्यवस्था सुनिश्चित की जाय और शिविरों का कार्यक्रम बनाकर विभाग को तुरंत भेजी जाय।

16. प्रखंड वार वितरण की प्रगति प्रतिदिन संध्या 8.00 बजे ई-मेल तथा फैक्स के माध्यम से सरकार को प्रेषित की जाए।

विश्वासभाजन

(आर0 के0 सिंह)

प्रधान सचिव